साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 8, अंक : 42 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 7 जून 2023 से 13 जून 2023 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

दिल्ली-एनसीआर में ओजोन प्रदूषण का खतरा बढ़ा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने चेताया

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास बसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में तेजी से ओजोन प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कई और प्रकार के प्रदूषक भी तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं। समय रहते यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य में आमजन के स्वास्थ्य के लिए एक भयावह संकट पैदा हो सकता है। इस संकट पर काबू पाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने एक चेतावनी जारी की है।

सीएसई की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रायचौधरी का कहना है कि ओजोन की तेजी से बढ़ती समस्या को लेकर हमने लगातार चेताया है। लेकिन अपर्याप्त निगरानी, सीमित आंकड़े और विश्लेषण के अनुपयुक्त तरीकों ने इस बढ़ते सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे की समझ को लगातार और कमजोर किया है। यही नहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रतिदिन वायु प्रदूषण द्वारा एकत्रित किए जा रहे आंकड़े भी इस प्रदूषक को पकड़ पाने में असफल साबित हो रहे हैं। सवाल उठना लाजिमी है कि ओजोन प्रदूषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? ध्यान रहे कि अब तक स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए शोध यह बताते हैं कि ओजोन प्रदूषण भारत में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में तेजी से बढ़ रही है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर-2020 की रिपोर्ट में कहा गया है कि ओजोन प्रदूषण के कारण भारत में मृत्यु दर सबसे अधिक है। जमीनी स्तर का ओजोन किसी भी स्रोत से सीधे तौर पर उत्सर्जित नहीं होती है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स), वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (वीओसी), कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच क्रिया करने से उत्पन्न होती है। ओजोन न शहरी प्रदूषण के कारण बनती है। यह न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि फसल उत्पादन और खाद्य सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। इस अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस के कई प्रकार के गंभीर स्वास्थ्य परिणाम सामने आए हैं। इससे सांस की समस्या, अस्थमा और विशेष रूप से समय से पहले फेफड़े को गंभीर खतरा होता है। यह सांस लेने वाली नलिका में सूजन जैसी क्षति पहुंचा सकती है। इसके अलावा फेफड़ों को संक्रमण के प्रति अतिसंवेदनशील बना सकती है, अस्थमा केदौरे को बढ़ा सकती है। गर्मी के लगभग सभी दिनों में ग्राउंड-लेवल पर ओजोन की अधिकता की सूचना दी जाती है। इस गर्मी में ओजोन की अधिकता 1 मार्च से 30 मई के बीच 87 दिनों में दर्ज की गई थी। पिछले पांच वर्षों में यह देखा गया है कि जमीनी स्तर पर ओजोन सभी मौसम में समस्या बनी रही है, लेकिन यह अप्रैल और मई के महीनों में खतरनाक स्थिति पैदा करती है। जमीनी स्तर पर ओजोन खतरनाक तरीके से वर्ष भर में कभी भी पैदा हो सकती है। लेकिन यह आमतौर पर जब गर्मी नहीं होती तो इसके पैदा होने की संभावना काफी कम रहती है। इसके लिए व्यापक रूप से तेज गर्मी और तेज धूप की आवश्यकता अधिक होती है जो कि आमतौर पर गर्मियों में मौजूद होती है। विशेष रूप से अप्रैल से मई के बीच का समय इसके पैदा होने की सबसे अधिक अनुकूल स्थिति होत है।

विश्लेषण में कहा गया है कि मार्च-अप्रैल के दौरान दिल्ली-एनसीआर में जमीनी स्तर के ओजोन प्रदूषण का भौगोलिक प्रसार पिछले पांच वर्षों में सबसे कम रहा है। यही नहीं ओजोन का प्रसार दिल्ली-एनसीआर में हर साल के मुकाबले इस वर्ष कम रहा है। भले ही इस गर्मी में जमीनी स्तर के ओजोन का प्रसार कम हुआ हो, लेकिन इसकी अवधि बढ़ गई है। नई दिल्ली और दक्षिण दिल्ली के आसपास का इलाका ओजोन प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। दक्षिणी दिल्ली का नेहरू नगर दिल्ली-एनसीआर में सबसे अधिक प्रभावित वाला क्षेत्र रहा है। विश्लेषण में कहा गया है कि इस मार्च से मई के बीच 75 दिनों तक इस स्थान में मानक से अधिक ओजोन का प्रसार हुआ। इसके बाद श्री अरबिंदो मार्ग, डॉ केएस शूटिंग रेंज और मंदिर मार्ग सबसे अधिक ओजोन प्रदूषित क्षेत्र हैं। यही नहीं गाजियाबाद, गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा भी ओजोन प्रदूषण से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। फरीदाबाद क्षेत्र में ओजोन की अधिकता के कम से कम मामले सामने आए हैं। जमीनी स्तर पर सबसे अधिक ओजोन की अधिकता दर्ज करने वाले स्थानों में दिल्ली में नेहरू नगर, अरबिंदो मार्ग, डॉ केएस शूटिंग रेंज, मंदिर मार्ग, अलीपुर और पटपड़गंज शामिल हैं।

गाजियाबाद में संजय नगर और वसुंधरा, गुरुग्राम में ग्वाल पहाड़ी और ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क। जबकि दिल्ली-एनसीआर में सबसे कम ओजोन प्रदूषण वाले स्थानों में दिल्ली में पंजाबी बाग, अशोक विहार, सिरी फोर्ट, चांदनी चौक, नॉर्थ कैंपस और पूसा शामिल हैं। फरीदाबाद में सेक्टर 16 ए और 11, न्यू इंडस्ट्रियल टाउन और नोएडा में सेक्टर 1 शामिल हैं। हालांकि, ओजोन प्रदूषण का प्रसार में सबसे अधिक सुधार दिखने वाले स्थानों में दिल्ली के सिरी फोर्ट, जेएलएन स्टेडियम, नरेला, सोनिया विहार, बवाना, अशोक विहार और द्वारका सेक्टर 8 शामिल हैं। फरीदाबाद में सेक्टर 16ए और गाजियाबाद में इंदिरापुरम और लोनी शामिल हैं।

दिल्ली के कई इलाकों में अवैध रूप से चल रही हैं रंगाई फैक्ट्रियां

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी समिति संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर बिंदापुर, मटियाला, रणहोला, ख्याला, मीठापुर, बदरपुर, मुकुंदपुर और किरारी में अवैध रूप से चल रही रंगाई फैक्ट्रियों की जांच करेगी।

इस मामले में आवेदक वरुण गुलाटी ने कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया था। इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से कहा है कि वरुण गुलाटी द्वारा दायर आवेदन में जिन इकाइयों का जिक्र किया है उनके संबंध में क्या कार्रवाई की गई है उसपर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। 23 मई, 2023 को एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि इस रिपोर्ट में सहमति ली है या नहीं उसकी स्थिति का जिक्र होना चाहिए। इसके साथ ही नाली में कचरे के निपटान की क्या स्थिति है, उसकी गुणवत्ता, के साथ-साथ जो क्षेत्र इन इकाइयों के लिए उपयुक्त नहीं हैं उनकी स्थिति और बहाली के लिए क्या कार्रवाई की जानी है उसकी जानकारी भी अगले तीन महीनों के अंदर इस रिपोर्ट में देनी है। आवेदक का कहना है कि 500 से ज्यादा ऐसे कारखाने चल रहे हैं। यह कारखाने खुले क्षेत्रों, नजफगढ़ नाले या स्वरूप नगर नाले दूषित पानी डाल रहे हैं। यह नाले यमुना में मिलते हैं। इसके साथ ही यह इकाइयां अवैध रूप से भूजल का भी दोहन कर रही है। साथ ही इस क्षेत्र में एफ्लुएंट को साफ करने के लिए सीईटीपी नहीं है। पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि नई बस्ती के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र और उसके आसपास किसी भी नए निर्माण को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह रिपोर्ट 24 मई, 2023 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपी है। रिपोर्ट जम्मू के नई बस्ती में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों से जुड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी की जानी चाहिए। साथ ही यदि प्रभावित क्षेत्र के बाहर भी घरों में बड़ी दरारों के बनने के संकेत मिलते हैं तो उन्हें तुरंत खाली कर दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार इसके साथ ही एहतियाती तौर पर प्रभावित क्षेत्र के बाहर रह रहे लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाना चाहिए। ढलान से भूस्खलन को रोकने के लिए सड़क किनारे 400 मीटर की दीवार बनाई जानी चाहिए, जिससे ढलान के टूटने पर जानमाल की हानि को रोका जा सके। इसके साथ ही बारिश से पहले पानी के रिसाव को रोकने के लिए सभी दरारों को सीमेंट के घोल से भर देना चाहिए। एनजीटी ने 17 फरवरी, 2023 को एक मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति के गठन का निर्देश दिया था। इस मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि नई बस्ती में घरों में दरारें आने के बाद 19 परिवारों को वहां से स्थानांतरित कर दिया गया था।

ऐसे में समिति को पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए बहाली सम्बन्धी उपायों का सुझाव देने के साथ धारण क्षमता, जल विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान के अध्ययन, साथ -साथ संबंधित और आकस्मिक मुद्दों पर विचार करने का काम सौंपा गया था। समिति ने व्यापक सिफारिशों और सुझावों को शामिल करते हुए एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की है। एनजीटी ने साहिबगंज के गादौन की पहाड़ियों में चल रहे खनन के कारण पर्यावरण के होते विनाश पर रिपोर्ट मांगी है। मामला बिहार के साहिबगंज का है। जहां सैकड़ों एकड़ में किए जा रहे पत्थर और बालू खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। इस मामले में कोर्ट ने झारखंड सरकार, साहिबगंज के जिलाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और 13 स्टोन क्रशरों से दो महीनों के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। आवेदक के अनुसार इस क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से हो रहे खनन के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। साथ ही यह ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है। इतना ही नहीं इसके चलते भूजल के स्तर में भी गिरावट आ रही है।

आवेदक प्रदीप कुमार सिंह का कहना है कि इसके लिए की गई ब्लास्टिंग से घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इस मामले में झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 19 मई, 2023 को दाखिल की गई कार्रवाई रिपोर्ट में कहा है कि निरीक्षण के दौरान गढ़वा मौजा की सभी पत्थर खदानें और क्रशर बंद पाए गए थे। ऐसा लगता है कि पत्थर की खदानों में अनुचित ढलान, बेंच की ऊंचाई और चौड़ाई जैसी अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों का पालन किया गया था। खानों और क्रशिंग इकाइयों में और उसके आसपास कच्ची हॉल रोड पाई गई, जिसका ठीक से रखरखाव नहीं किया गया था। इसके साथ ही वहां पर्याप्त पेड़ नहीं लगाए थे। न ही हरियाली देखी गई थी। यह खदानें गंगा के तट से 1.5 से दो किमी की दूरी पर स्थित पाई गईं। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि खदानों से निकलने वाला कचरा गंगा के बाढ़ क्षेत्र में जमा हो सकता है। रिपोर्ट से पता चला है कि गोडवा क्षेत्र में एक प्राकृतिक जलधारा %मोती झरना% हुआ करती थी। हालांकि अवैज्ञानिक तरीके से होते खनन, बढ़ते दबाव और अन्य खदानों से जमा हो रहे कचरे के चलते यह धारा अब पूरी तरह कचरे से पट गई है।

सौर ऊर्जा खपत पर निर्भरता बढ़ाने के लिये जॉन डियर इण्डिया को मिला अवार्ड

भोपाल विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा देवास के ट्रेक्टर उत्पादक मेसर्स जॉन डियर इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड को अपनी ऊर्जा खपत का 27 प्रतिशत सौर उत्पादन से बढ़ाने के लिये सामान्य उद्योग श्रेणी में एक लाख रूपये का पुरस्कार दिया गया। उद्योग विभिन्न तरीकों से ऊर्जा खपत कम करने के लिये भी उल्लेखनीय कार्य कर रहा है।

जॉन डियर इण्डिया द्वारा 97 एकड़ भूमि का 27 प्रतिशत ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया गया है। यह वर्षाकाल में भवन का जल एकत्रित कर रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग का भी काम कर रहा है। उद्योग ने उच्च तकनीक का ऑर्गेनिक कम्पोस्टर स्थापित किया है और पेंट हाउस में लगातार वोलेटाइल ऑर्गेनिक्स की मॉनीटरिंग की जाती है। उद्योग द्वारा घरेलू दूषित जल उपचार के लिये 80 के.एल.डी. और उद्योग से निकलने वाले दूषित जल उपचार के लिये 250 के.एल.डी. के उपचार संयंत्र संचालित किये जा रहे हैं। उद्योग द्वारा समान उत्पादन जारी रखते हुए पिछले 8 वर्ष की तुलना में इस वर्ष 7.5 प्रतिशत ऊर्जा और 32.6 प्रतिशत जल खपत में भी कमी दर्ज की गई है। परिसर में विभिन्न प्रजातियों के 1500 वृक्ष लगाये गये हैं, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर रहे हैं।

एनजीटी ने हानिकारक पर्यटन गतिविधियों के मामले में अधिकारियों से मांगा जवाब

कुफरी में पर्यावरण के लिए खतरनाक पर्यटन गतिविधियों के मामले में दर्ज रिपोर्ट पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने संबंधित अधिकारियों से उनका जवाब मांगा है। मामला हिमाचल प्रदेश में शिमला के कुफरी का है। रिपोर्ट को अगले एक महीनों के भीतर सबमिट करना है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई, 2023 को होगी। कुफरी में यह समस्या पर्यटन गतिविधियों के कुप्रबंधन से जुड़ी हैं। विशेष रूप से यह छोटे से क्षेत्र में बड़ी मात्रा में घोड़ों के उपयोग के कारण हुई है। जो वहां की प्राकृतिक वनस्पति, जीवों और पूरे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रही हैं।

गौरतलब है कि एनजीटी ने 13 मार्च, 2023 को दिए आदेश में संयुक्त समिति से अगले दो महीनों के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस मामले में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पत्र के माध्यम से 23 मार्च, 2023 संयुक्त समिति की रिपोर्ट को सबमिट किया था।

अपनी इस रिपोर्ट में समिति ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कई गतिविधियों का जिक्र किया था। इसमें प्राकृतिक वनस्पतियों का होता क्षरण शामिल है। यह देखा गया कि एक छोटे से क्षेत्र में हजार से ज्यादा घोड़े और टट्टू हैं, जो क्षेत्र की वहन क्षमता से बहुत ज्यादा हैं। इसके साथ ही ठोस कचरे का भी वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन नहीं किया जा रहा है। इससे क्षेत्र में भारी प्रदूषण हो रहा है।

आवेदक शैलेंद्र कुमार यादव का कहना है कि यह रिपोर्ट सारांश रूप में उनके स्टैंड का समर्थन करती है। इसलिए वो रिपोर्ट पर कोई आपत्ति या टिप्पणी करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। उन्होंने कोर्ट से रिपोर्ट को सार रूप में स्वीकार करने और लागू करने का अनुरोध किया है। औद्योगिक कचरे को थिरुमणिमुथारू नदी में डाल रहा है रंगाई उद्योग, जांच के लिए समिति गठित एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रंगाई इकाइयां की जांच के साथ उसपर तथ्यात्मक रिपोर्ट सबमिट करने का निर्देश दिया है। शिकायत है कि रंगाई उद्योग अपने औद्योगिक कचरे को थिरुमणिमुथारू नदी में डाल रहा है। इस मामले में कोर्ट ने एक संयुक्त समिति के गठन का आदेश दिया है। इस समिति में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय और सलेम के जिला मजिस्ट्रेट शामिल रहेंगे।

कोर्ट के अनुसार इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल एजेंसी होंगे। यह समिति साइट का दौरा करेगी और इस मामले से जुड़े सभी जानकारियां एकत्र करेगी। साथ ही कोर्ट ने अगले दो महीनों के भीतर रिपोर्ट सबमिट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में विचाराधीन उद्योगों को दी गई गई सहमति के अलावा ऐसे उद्योगों की संख्या, अपशिष्ट के निपटान की अंतिम विधि के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। कोर्ट ने समिति को थिरुमणिमुथारू के लिए तैयार की गई नदी कार्य योजना को भी ध्यान में रखने के लिए कहा है, जो तमिलनाडु की प्रदूषित नदियों में से एक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने संयुक्त समिति को गोपालगंज में प्रदूषण फैलाने वाले पोल्ट्री फार्मों की जांच के निर्देश दिए हैं। इस समिति में गोपालगंज के जिला मजिस्ट्रेट और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य शामिल होंगें। मामला बिहार के गोपालगंज में जिगना जगन्नाथ, मीरगंज का है। आरोप है कि गोपालगंज में दो पोल्ट्री फार्म पर्यावरण संबंधी नियमों और कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे थे। इन पोल्ट्री फार्मों से गांव में भारी वायु प्रदूषण हो रहा था, जिससे स्थानीय निवासियों और ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो गया है। कोर्ट में जानकारी दी गई है कि इन पोल्ट्री फार्मों से जहरीली गैसें और दुर्गंध निकल रही है, जिसका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन नहीं किया जा रहा है। इसके चलते क्षेत्र में गंभीर रूप से प्रदूषण हो रहा है।

जलवायु परिवर्तन का नजारा, राजस्थान में सामान्य से तीन गुणा अधिक हुई प्री-मॉनसून बारिश

जोधपुर। पानी की बूंद-बूंद के लिए तरसने वाले राजस्थान में अब इतनी बारिश होने लगी है कि लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। फाइल फोटो- सीएसई/रवलीन कौरपानी की बूंद-बूंद के लिए तरसने वाले राजस्थान में अब इतनी बारिश होने लगी है कि लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। फाइल फोटो- सीएसई/रवलीन कौर पानी की बूंद-बूंद के लिए तरसने वाले राजस्थान में अब इतनी बारिश होने लगी है कि लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है।

राजस्थान में मई माह के दौरान हुई बारिश ने 105 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक मई से 31 मई 2023 के दौरान राज्य में 62.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो सामान्य से साढ़े चार गुणा (458 प्रतिशत) अधिक थी। राज्य के मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इससे पहले 1917 में मई माह के दौरान 71.9 मिमी बारिश हुई थी। राज्य में मई माह के दौरान होने वाली बारिश का सामान्य तौर पर 13.6 मिमी होती है, जो साल 1971 से 2020 के आंकड़ों का औसत आधार है, इसे दीर्घ अवधि औसत (एलपीए) भी कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान के मुकाबले पश्चिमी राजस्थान में अधिक बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान में एलपीए से 428 प्रतिशत, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 481 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि पश्चिमी राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा मरुस्थल है और इस क्षेत्र का सूखे का लंबा इतिहास रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के सभी 33 जिलों में सामान्य से बहुत ज्यादा यानी 60 प्रतिशत से अधिक बारिश हुई। लेकिन बीकानेर शहर ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीकानेर में 29 मई 2023 के दिन 72.8 मिमी बारिश हुई, जबकि इससे पहले यहां एक दिन में अब तक की सबसे अधिक वर्षा साल 1999 में 63.1 मिमी रिकॉर्ड की गई थी। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 4.8 प्रतिशत प्री-मानसून सीजन (मार्च से मई) में होती है। इस दौरान सामान्य तौर पर 23.2 मिमी होती है, लेकिन 2023 में 1 मार्च से 31 मई के दौरान 95.5 मिमी बारिश हुई। जो सामान्य से 312 प्रतिशत अधिक है। इस सीजन में सामान्य से पूर्वी राजस्थान में 320 प्रतिशत और पश्चिमी राजस्थान में 308 प्रतिशत अधिक बारिश हुई। प्री मॉनसून सीजन में सबसे अधिक बूंदी में रिकॉर्ड की गई। यहां 542 प्रतिशत अधिक बारिश हुई। इसके बाद डुंगरपुर में सामान्य से 505 प्रतिशत अधिक बारिश हुई। पिछले साल 2022 में राजस्थान में प्री-मॉनसून सीजन में 8 मिमी बारिश हुई थी, जबकि यानी कि सामान्य से 65.7 प्रतिशत कम थी और अगर मई महीने की बात करें तो मई 2022 में केवल 5.7 मिमी बारिश हुई थी, जो सामान्य से 58.1 प्रतिशत कम थी। यहां यह खास बात है कि पिछले कुछ सालों में भारत के जिन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का असर सबसे ज्यादा दिख रहा है, उसमें राजस्थान प्रमुख है। कभी अपने शुष्क मौसम के लिए कुख्यात राजस्थान में अब बारिश इतनी बेतरतीब हो रही है कि यहां बाढ़ तक आने लगी है। साल 2017 में तो राजस्थान में इतनी अधिक बारिश हुई थी कि कई इलाकों में बाढ़ की वजह से भारी नुकसान हुआ। इसकी बड़ी वजह यह रही कि राजस्थान में लोगों को सूखे से निपटने का तो अभ्यास है, लेकिन बाढ़ से निपटने का अभ्यास नहीं है। यहां तक कि राज्य के आपदा प्रबंधन प्लान में भी बाढ़ से निपटने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उसके बाद यह सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। साल 2021 के मॉनसून सीजन (जून-सिंतबर) में राजस्थान में सामान्य के मुकाबले 117 प्रतिशत बारिश हुई। खास बात यह कि माह सितंबर 2021 में सामान्य के मुकाबले 176 प्रतिशत बारिश हुई। इससे पहले साल 2019 के मॉनसून सीजन में सामान्य के मुकाबले 141 प्रतिशत बारिश हुई थी। बारिश की अनियमितता ने राजस्थान के उन लोगों के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है, जो अब तक कम बारिश होने के कारण अपने रहन-सहन में काफी बदलाव कर चुके थे।

खतरे की घंटी- कार्बन डाइऑक्साइड ने तोड़ा पिछले आठ लाख वर्षों का रिकॉर्ड

नई दिल्ली। एनओएए की एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक मई 2023 में वातावरण में मौजूद सीओ2 का स्तर 424 भाग प्रति मिलियन (पीपीएम) पर पहुंच गया है वातावरण में बढ़ता कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर नित नए रिकॉर्ड बना रहा है, जोकि पूरी मानवता के लिए खतरा है। ऐसा ही कुछ मई 2023 में भी दर्ज किया गया, जब कार्बन डाइऑक्साइड ने पिछले आठ लाख वर्षों का रिकॉर्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया था।

इस बारे में नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) की मौना लोआ एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि मई 2023 में वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 424 भाग प्रति मिलियन (पीपीएम) पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि ऐसा पिछले लाखों वर्षों में नहीं देखा गया है। यदि पिछले आंकड़ों को देखें तो वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर औद्योगिक काल के शुरूआत की तुलना में अब 50 फीसदी तक बढ़ चुका है। इस बारे में जारी रिपोर्ट के मुताबिक मई 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर उत्तरी गोलार्ध में अपने चरम पर पहुंच गया था। वहीं यदि मई 2022 से इसकी तुलना करें तो इसके स्तर में तीन पीपीएम की वृद्धि दर्ज की गई है। देखा जाए तो एनओएए के यह रिकॉर्ड कीलिंग कर्व के शिखर में चौथी सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं स्क्रिप्स इंस्टिट्यूट के के वैज्ञानिक, जो सीओ2 के स्वतंत्र रिकॉर्ड रखते हैं, उनकी गणना के मुताबिक मई में मासिक औसत स्तर 423.78 पीपीएम रिकॉर्ड किया था, जो उनके मई 2022 के औसत से तीन पीपीएम ज्यादा है। देखा जाए तो यह कोई पहला मौका नहीं है जब कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में इस तरह से वृद्धि हो रही है। इससे पहले भी मई 2021 में महामारी के बावजूद सीओ2 का औसत मासिक स्तर 419.13 पीपीएम पर पहुंच गया था। देखा जाए तो यह कोई पहला मौका नहीं है जब कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में इस तरह से वृद्धि हो रही है। इससे पहले भी मई 2021 में महामारी के बावजूद सीओ2 का औसत मासिक स्तर 419.13 पीपीएम पर पहुंच गया था। वहीं मई 2020 में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 417.1 पीपीएम रिकॉर्ड किया गया था। इस बारे में एनओएए की ग्लोबल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी से जुड़े एक वरिष्ठ वैज्ञानिक पीटर टैन्स का कहना है कि इंसानों द्वारा उत्सर्जित की जा रही ग्रीनहाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख गैस है, जोकि उत्सर्जन के बाद हजारों वर्षों तक वातावरण और महासागरों में बनी रह सकती है। उनके अनुसार हम हर वर्ष वातावरण में करीब 4,000 करोड़ मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जो हमारे वातावरण को दूषित कर रही है। गौरतलब है कि मौना लोआ मौसम स्टेशन पर ऑन-साइट कार्बन डाइऑक्साइड के अवलोकन का श्रेय 1958 में स्क्रिप्स ओशनोग्राफी के एक भू-वैज्ञानिक चार्ल्स डेविड कीलिंग को जाता हैं, जिन्होंने सबसे पहले इसकी शुरूआत की थी। उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया था कि उत्तरी गोलार्ध में पैदावार के सीजन में सीओ2 का स्तर कम हो गया था। वहीं जब पतझड़ में पौधे मर गए तो इसका स्तर दोबारा बढ़ गया था। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में इस बदलाव को कीलिंग कर्व के रूप में दर्ज किया था।

मानवता के लिए खतरा बन चुका है बढ़ता स्तर इस बारे में एनओएए के प्रशासक रिक स्पिनराड का कहना है कि, हर साल हम जलवायु में आते बदलावों के कारण बाढ़, सूखा, लू, भीषण गर्मी, दावाग्नि, और हमारे चारों और उठ रहे तूफान जैसी चरम मौसमी घटनाओं को देख रहे हैं। हम इन आपदाओं से बच नहीं सकते हमें इनके अनुकूल होने की जरूरत है। इनसे बचने के लिए हमें बढ़ते कार्बन प्रदूषण को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए जिससे इस ग्रह और इसे घर कहने वाले जीवन को बचाया जा सके। उनके मुताबिक वनों का होता विनाश, सीमेंट निर्माण, कृषि, परिवहन, विद्युत के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग वातावरण में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य ग्रीनहाउस गैसों की तरह सतह से परिवर्तित होने वाली ऊष्मा को ट्रैप कर लेती है और उसे अंतरिक्ष में जाने से रोक देती है। नतीजन धरती का तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से चरम मौसमी घटनाएं कहीं ज्यादा विकराल रूप ले रहीं हैं और उनकी आवृति भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। इतना ही नहीं वातावरण में बढ़ता कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर समुद्रों के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और अतिरिक्त गर्मी को सोख लेते हैं। इसकी वजह से न केवल समुद्र की सतह का तापमान बढ़ रहा है साथ ही उनका पानी में अम्लीकरण बढ़ रहा है। समुद्री जल में मौजूद ऑक्सीजन का स्तर घट रहा है। इसकी वजह से जीवों के विकास पर असर पड़ रहा है। देखा जाए तो इसका खामियाजा समुद्र में रहने वाले किसी एक जीव को नहीं बल्कि पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भुगतना पड़ रहा है।

इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर अपनीयोजनाओं में वृहद वृक्षारोपण का संकल्प लेते हुए आज योजनाओं में वृक्षारोपण किया गया

इंदौर श्री जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि हमने अपनी टीपीएस योजनाओं में सो बगीचे विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है इसकी शुरुआत आज हमने योजना क्रमांक 166 एवं टी पीएस 8 योजनाओं से की है, आपने बताया कि इन वृक्षों का रखरखाव और इनका संधारण भी किया जावेगा, विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के महत्व और स्थायी विकास के लक्ष्यों को महत्वपूर्ण घटक मानते हुए हर नागरिक को हमने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है , ताकि हम पर्यावरण को स्वच्छ और हरा-भरा बना सकें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। उनकी पहलों में स्थानीय नागरिकों द्वारा पेड़ लगाने के अभियान, प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने की पहल, और स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम शामिल हैं। इन्हीं लक्ष्यों के चलते इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण हेतु यह संकल्प लिए हैं! श्री जयपाल सिंह चौहान ने बताया कि वे इस साल समयानुगत ढंग से 100 बाग़ों को पहचान कर विकसित करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, प्राधिकरण की यह पहल पर्यावरण और शहरी विकास को समर्पित है, और इसका उद्देश्य इंदौर के वासियों को हरियाली और स्वच्छता की सभी विधाओं में सुधार की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008